अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

निदेशक कार्यालय

फा.सं.40-30/2024-स्था.I 11.12.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: एम्स में कार्यरत रिश्तेदारों संबंधी पूर्व सूचना देने संबंधी।

एम्स, नई दिल्ली में सर्वोच्च कार्य पद्धति को बनाए रखने हेतु नियमित कर्मचारियों की स्वीकृत स्टाफ संख्या लगभग 15000 है तथा आउटसोर्स आधार पर लगभग इतनी ही संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। कई मामलों में, यह देखा गया है कि परिवार के नज़दीकी सदस्य नियमित आधार पर या आउटसोर्स आधार पर कार्यरत हैं। हालाँकि, एम्स में कार्य करने वाले नज़दीकी रिश्तेदारों से संबंधित अभिलेख में कोई केंद्रीकृत डेटाबेस या घोषणा उपलब्ध नहीं है, जिससे ऐसे कर्मचारियों / आउटसोर्स कर्मचारियों की रिपोर्टिंग संबंधों या समान समितियों आदि के सदस्य के रूप में नियुक्त होने का जोखिम बढ़ जाता है।

पारदर्शिता बढ़ाने एवं सुशासन के हित में यह निर्णय लिया गया है कि एम्स के सभी कर्मचारियों तथा एम्स द्वारा नियुक्त आउटसोर्स कर्मचारियों को अपने नज़दीकी रिश्तेदारों जैसे पति/पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पिता एवं माता के बारे में जानकारी प्रदान करना अनिवार्य होगा, जिनके एम्स, नई दिल्ली में व्यक्ति विशेष के कार्य को प्रभावित करने या उससे प्रभावित होने की संभावना हो सकती है।

तदनुसार, सभी स्थापना अनुभागों एवं आउटसोर्स कर्मचारी सेवा प्रदाताओं को प्रति वर्ष दिनांक 31 दिसंबर से पहले एम्स नई दिल्ली में कार्य करने वाले अपने संबंधित कर्मचारियों से इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना अपेक्षित है। यथा समय पर, निर्बाध इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के अनुरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु पूर्व घोषणा के इस विकल्प को साहस के साथ एकीकृत किया जाए।

प्रो. एम श्रीनिवास

निदेशक

वितरण: (इसे अपने नियत्रंणाधीन सभी अधिकारियों में परिचालित करने के अनुरोध सहित)

1. संकायाध्यक्षगण (शैक्षिक,अनुसंधान,परीक्षा)
2. अपर निदेशक (प्रशासन)
3. चिकित्सा अधीक्षक, (एम्स)
4. सभी केंद्र-प्रमुखगण/अध्यक्ष, एनसीआई, झज्जर
5. सभी विभागाध्यक्षगण
6. वरिष्ठ वित्त सलाहकार
7. प्रभारी-आचार्य, कम्प्यूटर सुविधा

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, NEW DELHI
OFFICE OF DIRECTOR

F. No. 40-30/2024-Estt.I 11.12.2024

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Proactive disclosure regarding relatives working at AIIMS reg.

AIIMS New Delhi has a sanctioned staff strength of nearly 15000 regular employees and engages nearly same number of staff on outsourcing basis to maintain it's optimum functioning. In many cases, it has been noted that close family members are employed herein on regular basis or on outsourcing basis. However, there is no centralized database or declaration available on record regarding the close relatives working at AIIMS, which increases the risk of such employees / outsourced staff being posted in reporting relationships or as members of same committees etc.

To increase transparency and in the interest of good governance, it has been decided that all AIIMS employees & outsourced staff engaged by AIIMS shall be mandatorily required to declare information regarding their close relations viz. spouse, son, daughter, brother, sister, father and mother who may be expected to influence, or be influenced by, the individual's dealings at AIIMS New Delhi.

Accordingly, all establishments and outsourced manpower service providers are required to seek such disclosures from their respective employees working at AIIMS New Delhi, before 31st December every year. In due course, this option of pro-active disclosure should be integrated with SAHAS to ensure seamless electronic recordkeeping.

11/12/2024

Prof. M Srinivas
Director

Distribution (with a request to also circulate it to all officials under their control)

1. Dean/s (Academic, Research, Examination)
2. Addl. Director (Admin)
3. Medical Superintendent (AIIMS)
4. Chiefs' of all Centres / Head, NCI Jhajjar
5. Heads' of all Departments
6. Sr. Financial Advisor
7. Prof. I/c Computer Facility